न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/76/2024 रजू दिनांकः 16.05.2024 रजि0 न0 2024/126

अपीलार्थीः–
श्री रामखिलाडी मीना पुत्र श्री धनसीराम मीना, ग्राम–डेरा, तहसील रैणी, जिला अलवर, (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 11.06.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.05.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक RTI/प्रथम अपील/2024/839 दिनांक 23.05.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से प्रथम आवेदन दिनांक 12.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन व्यक्त कर, प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधि0 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय किया जाकर प्रा0पत्र खारिज कर पत्र सं0 510 दिनांक 01.04.2024 के माध्यम से सूचित किया जाना अंकित किया गया है, का अवलोकन किया गया। जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत विशिष्टियों के साथ स्वयं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार शुल्क बचाने के चक्कर में 01 सूचना आवेदन के माध्यम से अन्यान्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। पृथक–पृथक व्यक्ति विशिष्टियों के साथ, नियमानुसार पृथक–पृथक सूचना आवेदन प्रस्तुत करें। इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि जवाबनुसार वांछित सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत विशिष्टियों के साथ स्वयं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार शुल्क बचाने के चक्कर में 01 सूचना आवेदन के माध्यम से अन्यान्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। पृथक–पृथक व्यक्ति विशिष्टियों के साथ, नियमानुसार पृथक–पृथक सूचना आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।
6. अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वांछित सूचना सामूहिक खाते की भूमि के मुआवजा राशि के बारे में चाही गई है ना की अलग–अलग व्यक्तियों के बारे में? साथ ही अवगत कराया है कि सभी हिस्सेदारो को प्राप्त भुगतान का विवरण दर्शाये बिना कुल भुगतान का मिलान कैसे संभव है? हमारी सामुहिक खातेदारी की भूमि के खसरा नं0 469 में स्थित पक्का कुआं, उसमें बोरवेल, विद्युत कनेक्शन, मकान आदि परिसंपत्तियों का अवार्ड संख्या 26(सी) दिनांक 26.04.2019 में निर्धारित इसे अभिलेख पर 33,57,498/– रूपये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है संबंधित अधिकारी इसे अभिलेख पर उजागर नहीं करना चाहते इसलिए वांछित सूचना देने से इन्कार करते है। पूर्व मे उक्त भुगतान किए जाने के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई है। प्रत्यर्थी के जवाब से जाहिर है कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर ही प्रथम दृष्टया आवेदन का विनिश्चय किया गया है। वांछित सूचना के संबंध में संबंधित विभाग/शाखा से सूचना प्राप्त नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है, यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नावर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)